राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1326/2010/जयपुर

मैसर्स हरीचन्द आनन्द एण्ड कम्पनी,
जे–1216, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहा. वाणि. कर अधिकारी, उड़नदस्ता–IV, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/01/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 243/अपील्स–IV/2008–09/सी में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.05.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–चतुर्थ, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 07.01.2009 को जयपुर में न्यू सांगानेर रोड़ आदित्य रोड़वेज पर वाहन संख्या आर.जे.32/जीए–3419 को चैक किये जाने पर वाहन में सिलाई मशीन दिल्ली से जयपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी श्री सुखराम पुत्र श्री जगदीशप्रसाद ने उक्त माल से सम्बन्धित मैसर्स आदित्य रोड़वेज नई दिल्ली की जी.आर. संख्या 23319 दिनांक 06.01.2009 एवं मैसर्स हरिचन्द आनन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली का रिटेल इन्वॉयस संख्या 1090 दिनांक 05.01.2009 प्रस्तुत किये। माल अधिसूचित श्रेणी का होते हुए भी घोषणा–पत्र वैट–47 पेश नहीं किये जाने के कारण माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया गया कि घोषणा–पत्र वैट–47 विभाग से जारी नहीं होने के कारण संलग्न नहीं किया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब के आधार पर यह अवधारित करते हुए कि माल बिना

लगातार.....2

घोषणा–पत्र वैट–47 के परिवहनित किया जा रहा है। अतः माल परिवहन में स्पष्ट रूप से वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 68,100/– का आरोपण आदेश दिनांक 07.01.2009 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2010 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत परिवहनित माल के सम्बन्ध में बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.8.2008 द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वेट–47 माल के साथ संलग्न नहीं होने पर भी व्यवहारियों के विरूद्ध शास्ति का आरोपण नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जो दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी थे। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय संबंधी आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलार्थी के परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न नहीं होने के आधार पर, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में तथा उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 3/2011 मैसर्स हिरामणी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, बांसवाड़ा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.2013 तथा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 21 वी.एस.टी. 386 (कर्नाटक) आर.के.कॉर्पोरेशन बनाम कर्नाटक सरकार व अन्य** का हवाला देते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कथन है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से परिवहनित अधिसूचित माल के साथ घोषणा–पत्र वेट–47 नहीं पाया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अधिसूचित माल का परिवहन किये जाने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अर्न्तगत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित था। अपीलार्थी का प्रकरण स्टॉक ट्रांसफर से सम्बन्धित है, जिस पर राज्य सरकार का पत्र

लगातार.....3

दिनांक 30.8.2008 लागू नहीं होता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से विचार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा विधिनुसार आरोपित की गयी शास्ति को बहाल रखने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथन के साथ अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.08.2008 व 27.02.2009 का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित वस्तु **'सिलाई मशीन'** स्टॉक ट्रांसफर के जरिये दिल्ली से जयपुर के लिये परिवहनित कर रहा था, जिसके साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न नहीं था। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.8.2008 द्वारा घोषणा–पत्र वैट–47 व वैट–49 की अनिवार्यता को समाप्त किया गया था, उक्त पत्र दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के उक्त पत्रों का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार हैं :–

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 जयपुर, दिनांक 30.8.2008

आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

सन् 2008–09 की बजट भाषण के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप 1 मई, 2008 से सभी सीमान्त चैक–पोस्ट हटाने के साथ राज्य में कतिपय वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय वाणिज्य के दौरान व्यवहारियों के द्वारा वैट फार्म–47 एवं 49 को साथ में रखना अनिवार्य किया गया था।

राज्य सरकार इस संबंध में व्यवहारियों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इस सन्दर्भ में गठित कमेटी द्वारा अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान फॉर्म–47 एवं फार्म–49, साथ में नहीं होने पर भी उनके विरूद्ध शास्ति के आरोपण नहीं किये जाये।

लगातार.....4

भवदीय,
ह0
(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 जयपुर, दिनांक 27.02.2009

आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 द्वारा जारी निर्देश एतद्द्वारा निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से वापिस लिये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करावें।

भवदीय,
ह0
(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

7. उक्त परिपत्रों के अवलोकन से यह कतई आशय नहीं निकलता कि दिनांक 30.08.2008 से दिनांक 27.02.2009 के मध्य सम्पन्न हुए स्टॉक ट्रांसफर से सम्बन्धित प्रकरणों के लिये घोषणा पत्र वैट–47 व वैट–49 की अनिवार्यता रहेगी। उक्त परिपत्रों के अवलोकन से यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि दिनांक 30.08.2008 से दिनांक 27.02.2009 के मध्य सम्पन्न हुए सभी संव्यवहारों पर, जिनमें कि वक्त परिवहन माल के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 व वैट–49 अनिवार्य था, उक्त घोषणा–पत्रों की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्टॉक ट्रांसफर के आधार पर वैट–47 की अनिवार्यता मानते हुए, शास्ति आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं0 3/2011 मैसर्स हीरामणि फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, बांसवाड़ा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2013** में भी इसी प्रकार का मत प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 1450/2009/कोटा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–सप्तम, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स बालाजी ओवरसीज, ए–694, तलवंडी, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2012** में स्टॉक ट्रांसफर से सम्बन्धित प्रकरण में उक्त अवधि में घोषणा–पत्र वैट–47 की अनिवार्यता नहीं मानते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की गयी है।

लगातार.....5

8. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए निष्कर्षित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वैट–47 के अभाव में शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलीय आदेश दिनांक 28.05.2010 एवं शास्ति आदेश दिनांक 07.01.2009 अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया ।

मनोहर पुरी 25-01-2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य